केस स्टडी-02/2025

SPAD

जारी तिथि : 09.01.2024

घटनाक्रम:- मध्य रेल्वे के **मुंबई डिवीजन** में दिनांक 30.12.24 को ट्रेन क्र. EMU/BT TL-6, लोड : 12 Car, गाड़ी कार्य करते समय मोटरमेन ने ट्रेन करी रोड स्टेशन पर बिना रुके पार किया, AWS ऑपरेट होकर तथा ट्रेन मेनेजर द्वारा आपातकालीन ब्रेक लगाने से गाड़ी **करी रोड स्टेशन** का प्लेटफार्म पार होकर सिग्नल नं. L - 020 (UP लोकल लाइन) को 52 Kmph की गति से ऑन स्थिति में पार करके लगभग 202 मीटर बाद खड़ी हुई क्योंकि सिग्नल नं. L-022 से सिग्नल नं. L - 020 की बीच की दुरी 338 मीटर थी। (समय: 06.43 बजे)।

संभावित कारण:-

- मोटरमैन द्वारा कार्य में आने से पहले रनिंग रूम में पूर्ण विश्राम न करना।
- मोटरमैन को झपकी लगना व परिणामत: करी रोड स्टेशन सिग्नल नं. L-020 को ऑन स्थिति में पार कर जाना।

उपरोक्त घटना से सबक:-

- ✓ मोटरमैन कार्य करने से पहले पूर्ण विश्राम (घर और रनिंग रूम) लें तथा गाड़ी कार्य के दौरान हमेशा सतर्क रहें।
- ✓ मोटरमैन अगले हॉल्ट के बारे में सिग्नल नं. के साथ हाथ के इशारे से सिग्नल के संकेत को ज़ोर से पुकारें, ताकि दिमाग में हॉल्ट दर्ज हो सके।
- ✓ प्लेटफ़ॉर्म पर प्रवेश निर्धारित गति से अधिक नहीं होना चाहिए।
- ✓ मोटरमैन को हाथों के इशारों से ज़ोर से सिग्नल के संकेतों को पुकारना चाहिए, जैसे हरा संकेत-1 बार, डबल पीला-2 बार, एक पीला-3 बार व लाल-4 बार।
- ✓ पीला सिग्नल पार करने के बाद हमेशा ऑडियो विज़ुअल बजर चालू रखें, ताकि मोटरमैन और ट्रेन मैनेजर को याद दिलाए कि अगला सिग्नल लाल है।
- ✓ लाल सिग्नल के पास पहुंचने पर मोटरमैन को अन्य किसी गतिविधि में व्यस्त ना हो एवं पूरा ध्यान सिग्नल संकेत पर रखें।
- ✓ जब भी गाड़ी पीले सिग्नल से गुजरे, तो मोटरमैन को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए तथा अगले स्टॉप सिग्नल से पहले अपनी गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए, कभी भी यह मानकर न चलें कि अगला सिग्नल ऑफ ही होगा या हो जाएगा।
- ✓ ट्रेन शुरू करने से पहले, हमेशा सुनिश्चित करें कि ऑडियो अलर्ट सिस्टम पूरी आवाज़ के साथ ठीक से काम कर रहा है। खराबी/काम न करने की स्थिति में, तुरंत TLC/ नियंत्रक को रिपोर्ट करें।

(निखिल सिंह)
वरि.मं.वि.इंजि.(परि.),नागपुर

नोट: केस स्टडी केवल कर्मीदल को काउन्सलिंग देने के उद्देश्य से तैयार की गई है, इसे काउन्सलिंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होगा।

सभी मुख्य लोको निरीक्षक/मुख्य लोको नियंत्रक उपरोक्त निर्देशों को सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को अवगत कराएं एवं कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।